पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 391/2021

1. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रोहिताश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. चन्द्रावली पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गोजा कणाऊ के खाता सं0 70/76 के खसरा सं0 156/3 की 2.9590है0, खसरा सं0 157/1 की 2.6720है0, खसरा सं0 91/2 की 2.2790है0 कुल 7.9100है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश की बजाय वादी सुभाष व प्रतिवादी सं0 1 जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 रोहिताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 391/2021

1. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रोहिताश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. चन्द्रावली पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी

वकील श्री प्रभूराम गोदारा: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 3.2.2022

सक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 70/76 के खसरा सं0 156/3 की 2.9590है0, खसरा सं0 157/1 की 2.6720है0, खसरा सं0 91/2 की 2.2790है0 कुल 7.9100है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा किशनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किशनाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 जगदीश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा वादी बनाम मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एव प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जगदीश पुत्र किशनाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाऊ के खाता सं0 70/76 संवत 2076—79 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही कणाऊ संवत 2056 खाता सं0 49 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का

Scanned with CamScanner

जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामा वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाऊ के खाता सं0 70/76 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही कणाऊ संवत 2056 खाता सं0 49 प्रदर्श 2, सदरय प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार जगदीश के दो पुत्र सुभाष व रोहिताश तथा इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर कांबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 70/76 के खसरा सं0 156/3 की 2.9590है0, खसरा सं0 157/1 की 2.6720है0, खसरा सं0 91/2 की 2.2790है0 कुल 7.9100है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि मे से प्रतिवादी सं0 1 जगदीश की बजाय वादी सुभाष व प्रतिवादी सं0 1 जगदीश व प्रतिवादी सं0 2 रोहिताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner